



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219590
CG-DL-E-27052020-219590

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1497]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942

No. 1497]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2020/JYAISTHA 6, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

का.आ. 1664(अ).— दिल्ली एकीकृत भवन निर्माण उप नियम, 2016 के खंड 7.26 (अनुसूचक II° पैरा 1.14) और इसमें किए गए संशोधनों के अनुसरण में, सरकार ने भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित सदस्यों वाली विरासत संरक्षण समिति (एचसीसी) के पुनर्गठन का अनुमोदन कर दिया है:

- 1) विशेष सचिव /अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष
- 2) अपर महानिदेशक (निर्माण), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) - सदस्य
- 3) मुख्य नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य
- 4) मुख्य नगर नियोजक, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)- सदस्य
- 5) आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य
- 6) मुख्य वास्तुकार, नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) - सदस्य
- 7) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि - सदस्य

- 8) केंद्रीय डिजाइन संगठन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में मुख्य अभियंता (संरचना) - सदस्य
 - 9) श्री अरुणव दासगुप्ता (शहरी डिजाइनर), विभागाध्यक्ष, शहरी डिजाइन, योजना और वास्तुकला विद्यालय - सदस्य
 - 10) डॉ० अर्चना वर्मा (इतिहासकार), एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हिंदू कॉलेज - सदस्य
 - 11) सुश्री टी० लक्ष्मीप्रिया (संरक्षण वास्तुकार), सहायक प्रोफेसर, वास्तुकला संरक्षण विभाग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर - सदस्य
 - 12) डॉ० मीनाक्षी धोटे (पर्यावरणविद्), विभागाध्यक्ष, पर्यावरण योजना, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर - सदस्य
 - 13) निदेशक, राष्ट्रीय इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय - सदस्य
 - 14) सचिव, डीयूएसी - सदस्य सचिव
2. समिति के विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली एकीकृत भवन-उप नियम, 2016 के अनुलग्नक-II के पैरा 1.15 के अनुसार होंगे।

[फा.सं.के-12016/6/2003-डीडी- I]

सुनील कुमार भारद्वाज, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi the 27th May, 2020

S.O. 1664(E).— In pursuance to Clause 7.26 (Annexure II. Para 1.14) of Unified Building Bye-Laws for Delhi, 2016 and modifications made therein, the Government has approved the reconstitution of the Heritage Conservation Committee (HCC) with the following members for a period of three years with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India or until further orders, whichever is earlier:

- 1) Special Secretary/ Addl. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs - Chairman
- 2) Addl. DG (Works), CPWD - Member
- 3) Chief Planner, Town & Country Planning Organization - Member
- 4) Chief Town Planner, MCD - Member
- 5) Commissioner (Plg.), DDA - Member
- 6) Chief Architect, NDMC - Member
- 7) Representative of DG, Archeological Survey of India - Member
- 8) Chief Engineer (Structure) in the Central Design Organization, CPWD - Member
- 9) Shri Arunava Dasgupta (Urban Designer), Head of Deptt, Urban Design, School of Planning & Architecture
- 10) Dr. Archana Verma (Historian), Associate Professor, Deptt of History, Hindu College - Member
- 11) Ar. T. Lakshmi Priya (Conservation Architect), Assistant Professor, Deptt of Architectural Conservation, School of Planning & Architecture - Member
- 12) Dr. Meenakshi Dhote (Environmentalist), Head of Deptt, Environmental Planning, School of Planning & Architecture - Member
- 13) Director, National Museum of National History - Member
- 14) Secretary, DUAC - Member Secretary

2. Terms of reference of the Committee shall. Inter-alia, be as per para 1.15 of Annexure-II of Unified Building Bye-Laws for Delhi, 2016.

[F.No.K-12016/6/2003-DD-I]

SUNIL KUMAR BHARDWAJ, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228153
CG-DL-E-07072021-228153

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2518]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ 16, 1943

No. 2518]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का.आ. 2719(अ).—जबकि, सरकार ने अधिसूचना सं0 सा.आ. 1664(अ) दिनांक 27.05.2020 के द्वारा विरासत संरक्षण समिति का गठन किया, जिसमें डा. मीनाक्षी धोटे (पर्यावरणविद्) तथा एआर. टी. लक्ष्मीप्रिया (कंजर्वेशन आर्किटेक्ट) सदस्य थे।

2. जबकि, डा. मीनाक्षी धोटे (पर्यावरणविद्) तथा एआर. टी. लक्ष्मीप्रिया (कंजर्वेशन आर्किटेक्ट) ने सदस्य सचिव, एचसीसी को संबोधित क्रमशः दिनांक 14.01.2021 और 08.01.2021 की ईमेल द्वारा अपने त्याग-पत्र प्रस्तुत किए हैं।

3. जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने ध्यानपूर्वक जांच एवं विचार करने के बाद, उनके त्याग-पत्र स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि डा. मीनाक्षी धोटे (पर्यावरणविद्) तथा एआर. टी. लक्ष्मीप्रिया (कंजर्वेशन आर्किटेक्ट) क्रमशः 14.01.2021 और 08.01.2021 से एचसीसी के सदस्य नहीं रहेंगे।

[फा. सं0. के-12016/6/2003-डीडी-1]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(Delhi Division)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O. 2719(E).—Whereas, the Government constituted the Heritage Conservation Committee (HCC), vide notification No. S.O.1664(E) dated 27.05.2020, wherein Dr Meenakshi Dhote (Environmentalist) and Ar. T. Laxmipriya (Conservation Architect) were members.

2. Whereas, Dr Meenakshi Dhote (Environmentalist) and Ar. T. Laxmipriya (Conservation Architect) have submitted their resignation letter vide email dated 14.01.2021 and 08.01.2021 respectively, addressed to Member Secretary, HCC.

3. Whereas after careful examination and consideration, the Competent Authority has decided to accept their resignations.

4. Now, therefore, it is hereby notified that Dr Meenakshi Dhote (Environmentalist) and Ar. T. Laxmipriya (Conservation Architect) have ceased to be members of HCC with effect from 14.01.2021 and 08.01.2021 respectively.

[F. No. K-12016/6/2003-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under. Secy.